

भारत के उप-राष्ट्रपति का सचिवालय
SECRETARIAT OF THE VICE- PRESIDENT OF INDIA
नई दिल्ली - 110001 (भारत)
NEW DELHI - 110001 (INDIA)

फाइल संख्या वीपीएस-55/1/आर.टी.आई./64/2025-2026

02 मार्च, 2026


श्री अश्वनी कुमार,
पुत्र श्री मामचन्द शर्मा,
ग्राम-मवीकलां, पोस्ट-काठा, तहसील-खेकडा,
जनपद-बागपत, उत्तर प्रदेश-250609।

विषय - सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना हेतु।

महोदय,

उक्त विषय में आपकी आर.टी.आई. इस सचिवालय में 19.02.2026 को प्राप्त हुई है, जिसके साथ 10 रुपये का पो०आ०सं० 66एफ 445567 संलग्न कर आपने अपने आवेदन पर की गई कार्रवाही की जानकारी चाही है।

इस संदर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि आपके दिनांक 17.02.2026 के आवेदन को इस सचिवालय की नियमावली के अनुसार फाइल कर दिया गया है जिसकी कोई पावती नहीं दी जाती।


(सरिता चौहान)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

सेवा में P.I.O.
श्री मान उपशुद्धपति
व्ययमप नई दिल्ली-110001



विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जानकारी प्राप्त करने हेतु। D.No - 115/17/2/2026

महोदय, सविनय निवेदन है कि प्रार्थी अशवानी कुमार पुत्र माम चन्द्र शर्मा पता गावं मबिकला पोस्ट काठा जिला बागपत उत्तर प्रदेश (UP-250609) ने आपके के समक्ष आपके कार्यालय में दिनांक 17.02.2026 को संभल न्यायलय उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में शिकायत पत्र दिया था अपने इस प्रार्थना पत्र पर क्या कार्यवाही की है 2005 के अंतर्गत तत्काल सूचना देने की कृपा करें प्रार्थना पत्र साथ में संलग्न है 10 रुपये पोस्टल आर्डर संख्या 66F445567

अशवानी कुमार पुत्र माम चन्द्र शर्मा
पता गावं मबिकला पोस्ट काठा जिला बागपत उत्तर प्रदेश (UP)

Aswani Kumar

सेवा में
श्रीमान उपराष्ट्रपति महोदय
नई दिल्ली-110001

(115
17/2/26)

Received Dak
Date 17/2/26
Vice-President's Secretariat
New Delhi - 110011

①

विषय:- सम्मल कोर्ट उ0प्र0 प्रार्थीगण के सबूत, दस्तावेज, स्वीकार नहीं करता है प्रार्थीगण को निर्दाष साबित करने हेतु पूर्ण अवसर नहीं दिया जाता है तथा प्रार्थी की सुनवाई तिथि पत्रावली पर हेरा फेरी की गयी है इस संबंध में उच्च स्तरीय जांच हो तथा प्रार्थीगण की हत्या, हत्या, हत्या, हत्या की जा रही है। सम्मल उ0प्र0 न्यायालय के द्वारा के संबंध में शिकायत पत्र।

श्रीमान जी,

1. यह कि प्रार्थी अशवनी कुमार का एक मुकदमा दहेज प्रथा मुकदमा सं0 452/2019, सरकार बनाम अशवनी कुमार, ललीत कुमार जज साहब कोर्ट नं0 1 जू0मजि0 सम्मल उ0प्र0 244302 में विचाराधीन है।
2. प्रार्थी के बड़े भाई सचिन कुमार के द्वारा दिनांक 06.01.2026 सुनवाई की तिथि पर दो प्रार्थना पत्र शपथ पत्र के सभी सबूतों, दस्तावेज सहित जमा कराये थे, माननीय जज के समक्ष, उसके बाद हमारे हस्ताक्षर पत्रावली पर करारकर अंगली तिथि सुनवाई हेतु 24.02.2026 दे दी गयी थी, जबकि साथ में संलग्न RTI के अनुसार दिनांक 04.02.2026 की झूठी सुनवाई तिथि बताकर हेरा फेरी करके दोनों प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिये गये। जबकि प्रार्थीगण को किसी भी प्रकार से कोई भी सूचना प्राप्त नहीं हुई है, प्रार्थीगण को साजिस के तहस फसाया जा रहा है। हमारी हत्या, हत्या, हत्या, हत्या, हत्या, हत्या, हत्या, हत्या की जा रही है। प्रार्थीगण को RTI संख्या- 03/2025 के माध्यम के सूचना आज दिनांक 16.02.2026 को प्राप्त हुई, इस लेटर के पीछे RTI लेटर संलग्न है।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है हमें पूर्ण अवसर दिया जावे तथा तत्काल कार्यवाही करने की कृपा करें तथा सभी तारीखों पर सम्मल कोर्ट उ0प्र0 में हमें पुलिस सुरक्षा दी जावे।

TOTAL PAGE 1 to 7 तथा दिनांक 06.01.2026 को सम्मल कोर्ट में जमा किये गये

दो प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र संलग्न है।

Aswani Kumar
प्रार्थी



अशवनी कुमार पुत्र मामचंद
निवासी ग्राम मवीकला पों0 काठा
जिला बागपत उ0प्र0 250609

मो0नं0- 8954121272

DATE-17/2/2026